संख्या 57 /2022 / 289 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 15 मार्च, 2022

विषय:-जनपद लखनऊ में लाल बारादरी भवन में स्थित राज्य ललित कला अकादमी उ0प्र0 की वीथिकाओं के निर्माण कार्य से सम्बन्धित धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, राज्य ललित कला अकादमी का पत्र संख्या-1301/ 1-239टीसी /2021-22 दिनांक 25 फरवरी, 2022का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य ललित कला अकादमी के प्रस्तावानुसार सुपरविजन/सर्विस कनेक्शन चार्ज सिक्योरिटी चार्ज, जी0एस0टी0 सहित धनराशि रू0 33,69,167/- (रूपये तैंतीस लाख उनहत्तर हजार एक सौ सडसठ मात्र) तथा अकादमी परिसर के लिए आवश्यक केबिल, पोल, केबिल फिटिंग, इलेक्ट्रिक रूम, एल0टी0 पैनल एवं एल0टी0 रूम, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर फिक्सिंग, एल0टी0 पैनल फिक्सिंग आदि कार्यो हेतु धनराशि रू0 38,10,220/- (अडतीस लाख दस हजार दो सौ बीस मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 71,79,387/- (इकहत्तर लाख उन्यासी हजार तीन सौ सत्तासी मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 , दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) निदेशक, संस्कृति यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205 कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-101-ललित कला शिक्षा-06-उ0प्र0 ललित कला अकादमी, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) मद से वहन किया जाएगा।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 , दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 57 /2022 / 289 /चार-2022 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराजा
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सचिव, राज्य ललित कला अकादमी उ0प्र0 लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।